न्यायालयः- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना जिला-झालावाड़ (राज)

पीठासीन अधिकारी	-	**श्रीमती रचना वैष्णव, आर०जे०एस०**
फौ०नि०प्रकरण संख्या	-	**470/2019**
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०	-	**146/2019,**
पुलिस थाना	-	**जावर**
सी.एन.आर. नम्बर	-	RJJW180000672019

सरकार

अभियोगी...

बनाम

जगदीश पुत्र बीरधीलाल उम्र 63 वर्ष निवासी हरनावदाशाहजी पुलिस थान हरनावदाशाहजी जिला बारां (राज०)

अभियुक्त...

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः-

1- विद्वान अभियोजन अधिकारी राज्य सरकार की ओर से।

2- श्री अनूप खण्डेलवाल, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांक-06.07.2026**

घटना की दिनांक	18.08.2019
प्रथम सूचना की दिनांक	18.08.2019
अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने की दिनांक	01.10.2019
आरोप विरचन की दिनांक	01.10.2019
साक्ष्य आरंभ होने की दिनांक	01.10.2019
निर्णय की दिनांक	06.07.2019
निर्णय	दोषसिद्ध

01. थानाधिकारी थाना जावर की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्त जगदीश के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 01.10.2019 को पेश किया गया।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 18.08.2019 को परिवादी मांगीलाल ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह मोतीपुरा मजरा बट्ट्रखेडी का रहने वाला है। वह मोतीपुरा से सड़क के पास चारा काटने आया था। उसका चचेरा भाई रामकल्याण साईकल से चारा काटने जा रहा था। वह पीछे आ रहा था। बस प्राइवेट ओमप्रकाश तिवारी जो मनोहर थाना से हरनावदा चलती है, जिसके नंबर

आर.जे. 17 पी.ए. 2326 है, उसके चालक ने तेजगति व गफलत लापरवाही से चलाकर उसके भाई राम कल्याण के टक्कर ड्राइवर साईड से मारकर बस को पलटी खिला दी, जिससे उसके भाई राम कल्याण के दबने से सिर, छाती में और शरीर के पूरी जगह अंदरूनी चोट आई एवं टक्कर लगते ही कल्याण बेहोश हो गया वहां पर राकेश, श्रीलाल, तेजमल भी दौड़कर आ गए जो उसके भाई को उठाकर अकलेरा इलाज के लिए लाये। यह घटना आज लगभग 11:30 बजे की है। बस चालक व बस कंडक्टर भाग गए, इत्यादि।

03. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, जावर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 146/2019, अन्तर्गत धारा 279, 337, भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। बाद अनुसंधान अभियुक्त जगदीश के विरूद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. में पेश न्यायालय किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध के आरोपों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. अपराध के आरोप मौखिक रूप से सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त द्वारा इन्कार कर अन्वीक्षा चाही गई।

05. अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध शेष रहे अपराध के संबंध में मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है-

अभियोजन साक्षी क्रमांक	**साक्ष्य की प्रकृति**
01. मांगीलाल	तहरीरी रिपोर्ट दर्ज करना
02. जगदीश	अनुसंधानकर्ता
03. मांगीलाल	परिवादी
04. राकेश	चश्मदीद साक्षी
05. श्रीलाल	चश्मदीद साक्षी
06. रामकल्याण	मजरूब
07. सत्येन्द्र सिंह	चिकित्सकीय साक्षी
08. ओमप्रकाश	फर्द जप्ती
09. भरतराज	फर्द जप्ती

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है-

प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेजात का विवरण	साबित करने वाले साक्षी
प्रदर्श पी01	तहरीरी रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 1,3
प्रदर्श पी02	चाक एफआईआर	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी03	नक्शामौका	साक्षी क्रमांक 1,3,5
प्रदर्श पी04	साईकिल की फर्द डैमेज	साक्षी क्रमांक 2,5

प्रदर्श पी05	फर्द जप्ती	साक्षी क्रमांक 2,8,9
प्रदर्श पी06 लगायत प्रदर्श पी09	बस के फोटोग्राफ्स	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी10	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी11	नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी12	आरसी	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी13	बीमा	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी14	फिटनेस	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी15	पीयूसी	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी16	चालक का ड्राईविंग लाईसेंस	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी17	मालखाना रजिस्टर की प्रति	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी18	पुलिस बयान गवाह रामकल्याण	साक्षी क्रमांक 6
प्रदर्श पी19	चोट प्रतिवेदन रामकल्याण	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी20	एक्सरे	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी21	एक्सरे करव नोट	साक्षी क्रमांक 7

06. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्त को धारा 313 द.प्र.स. के तहत परीक्षित किया गया, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए बस को उसके द्वारा चलाना एवं उसकी साईड चलना तथा बस के सामने एकदम साईकिल वाले का घूमना जाहिर करते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा तथा स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित किया।

07. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

08. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी के द्वारा जाहिर किया गया कि प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप संदेह से परे प्रमाणित हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाए।

09. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। किसी भी गवाह के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अतः संदेह का लाभ दिया जाकर अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारणार्थ मुख्य रूप से अवधारणीय बिन्दु यह है किः-

''1. क्या अभियुक्त जगदीश द्वारा दिनांक 18.08.2019 को समय 11.30 ए.एम. के लगभग मौजा/स्थान मोतीपुरा पुलिस थाना जावर पर वाहन बस रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 17 पी.ए. 2326 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन सुरक्षा को संकटापित किया तथा परिवादी मांगीलाल का चचेरा भाई रामकल्याण जो कि साईकिल से जा रहा था के सामने ड्राईवर साईड की ओर से टक्कर मार दी, जिससे रामकल्याण के उक्त दुर्घटना में उसके शरीर पर साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित हुई?

2. यदि हां, तो अभियुक्त को दण्ड की किस मात्रा से दण्डित किया जाए?''

11. आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को उसकी कहानी अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध एवं प्रमाणित करना होता है। उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 09 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। जिनमें से गवाह संख्या पी.ड.03 मांगीलाल प्रकरण का परिवादी एवं गवाह सं. पी.ड.06 रामकल्याण आहत है।

12. गवाह पी.ड.03 मांगीलाल ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सन् 2019 की बात है। उसके काका का लडका रामकल्याण साईकिल से चारा काटने के लिए उसके घर से खेत पर जा रहा था। वह उसके लगभग सौ मीटर पीछे पैदल चल रहा था। मोतीपुरा की पुलिया के पास मनोहरथाना की तरफ से एक बस प्राईवेट जिस पर तिवारी लिखा था, ने उसके भाई के सामने से टक्कर मार दी। बस के नम्बर 2326 थे, पूरा नम्बर याद नहीं। बस को चालक तेज गति, लापरवाही से गलत साईड चलाकर लाया और उसके भाई के टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस पलटी खा गई थी और उसका भाई बस के नीचे दब गया था। फिर उसने खींचकर निकाला था। उसके भाई के पैर से जांघों तक कुचल गया था। मौके पर राकेश, श्रीलाल भी थे। बस चालक मौके से भाग गया था। उसके भाई को अकलेरा लेकर गये जहां निरोगधाम में पुलिस आ गई थी। उसने पुलिस को रिपोर्ट दी थी, जो प्रदर्श पी01 है। घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी03 है, फर्द डैमेज मोटरसाईकिल प्रदर्श पी04 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि बस में 15-20 सवारियां बैठी थी और बस पलटी खा गई थी। सवारियों के चोटें नहीं आई थी। बस पलटी खाकर उसके भाई के उपर गिर गई थी। उक्त गवाह ने इस

सुझाव का गलत होना बताया कि उसके भाई के साईकिल से गिरने से चोटें आई हो। अजखुद कहा कि बस से लगी थी।

13. गवाह पी.ड.06 रामकल्याण जो कि प्रकरण का आहत है, ने उसके बयानों में बताया है कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 4 वर्ष पहले सुबह 10-11 बजे की बात है। वह उसके घर से साईकिल से खेत पर चारा लेने जा रहा था। मांगीलाल उसके पीछे आ रहा था। पुलिया और शमशान की बाउन्ड्री के पास तिवारी बस जो मनोहरथाना की तरफ से आ रही थी, ने उसके टक्कर मार दी। बस को उसका चालक तेजगति और लापरवाही से चलाकर लाया, जिसको देखकर वह बिल्कुल एक तरफ हो गया था। वह मौके पर ही बेहोश हो गया था। वह लगभग छः माह तक अस्पताल में भर्ती रहा। उसे बस का नम्बर याद नहीं है। उसकी चोटों का मेडिकल एक्सरे हुआ था। तिवारी बस उसके गांव से रोज निकलती है। बस का रंग उसे याद नहीं है। उक्त गवाह को अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी उक्त गवाह का कथन रहा है कि उसने पुलिस को एक्सीडेंट करने वाली बस के नम्बर नहीं बताये। पुलिस बयान प्रदर्श पी18 का ऐ से बी भाग को लिखाये जाने से इंकार किया है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि बस ने सामने से टक्कर मारी थी।

14. गवाह पी.ड.04 राकेश ने उसके न्यायालय में लेखबद्ध किये गये बयानों में बताया है कि वर्ष 2019 में दिन के 3-4 बजे रामकल्याण का एक्सीडेंट हो गया था। रामकल्याण उसकी साईकिल से खेत पर चारा लेने जा रहा था। वह मौके पर खडा था। उसके साथ श्रीलाल, मांगीलाल व तेजमल भी खडे थे। पुलिया के पास शमशान के पास एक्सीडेंट हुआ था। तभी मनोहरथाना की तरफ से एक बस जिस पर तिवारी लिखा हुआ था ने तेजगति से चलाकर रामकल्याण के टक्कर मार दी। बस चालक बस को गलत दिशा में लेकर आया था। बस पलटी खा गई थी और रामकल्याण बस के नीचे दब गया था। उन्होने रामकल्याण को बस के नीचे से निकाला था। बस चालक व कंडक्टर मौके से भाग गये थे। उसने बस के नम्बर नहीं देखे। उक्त गवाह को अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी उक्त गवाह का कथन रहा है कि दुर्घटना कारित करने वाली बस के नम्बर आरजे 17 पीए 2326 पुलिस को बताये थे तो आज ध्यान नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि बस उनके गांव से रोज निकलती है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने

स्वीकार किया है कि वह एक्सीडेंट के बाद मौके पर आया था। बस में 5-6 सवारियां बैठी थी। सवारियों के कोई चोट नहीं आई थी।

15. गवाह पी.ड.05 श्रीलाल ने उसके न्यायालय में लेखबद्ध किये गये बयानों में बताया है कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 4 वर्ष पहले सुबह 10-11 बजे की बात है। रामकल्याण साईकिल से उसके खेत पर चारा लेने जा रहा था। पुलिया और शमशान के पास मनोहरथाना की तरफ से तिवारी प्राईवेट बस के चालक ने तेजगति से चलाकर रामकल्याण के टक्कर मार दी। बस पलटी खा गई और रामकल्याण बस के नीचे दब गया था। उसका घर घटनास्थल के पास है। वह आवाज सुनकर मौके पर गया था। वह घटना के समय बिरधीलाल की दुकान जो रोड पर है वहां खडा था। वह, मांगीलाल, राकेश मौके पर गये और रामकल्याण को बस के नीचे से निकाला था। रामकल्याण के पूरे शरीर पर चोटें आई थी। बस का नम्बर याद नहीं है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्रदर्श पी03 है। फर्द डैमेज साईकिल प्रदर्श पी04 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह को अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि एक्सीडेंट होते हुए उसने देखा था। उसने पुलिस को बस का नम्बर आरजे 17 पीए 2326 लिखाया हो तो आज खद नहीं है। अजखुद कहा कि वह अनपढ़ है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि एक्सीडेंट पुलिया के आगे हुआ था। बिरधीलाल की दुकान एक्सीडेंट वाली जगह से 200-250 फिट दूर है। गवाह ने स्वीकार किया है कि घटना के समय वह और बिरधीलाल बात कर रहे थे और बस के पलटी खाने के बाद आवाज सुनकर वह मौके पर गया था। बस चालक भाग गया था।

16. गवाह पी.ड.07 सत्येन्द्र सिंह ने उसके बयानों में बताया है कि वह दिनांक 18.08.2019 को सीएचसी अकलेरा पर एसएमओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना जावर के प्रतिवेदन पर रामकल्याण के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया था। चोट सं.01 कुचला हुआ घाव सेमी सिर में दायी ओर। चोट सं. 02 दर्द व सूजन 4 दायी कलाई पर। चोटट सं. 03 दर्द छाती पर। उक्त सभी चोटें कुन्द हथियार से कारित थी चोट संख्या 1 साधारण प्रकृति की थी एवं चोट संख्या 2, 3, 4 के लिए एक्स रे की सलाह दी थी जो बाद एक्स रे चोट सं. 2 गंभीर प्रकृति की एंव 3 व 4 साधारण प्रकति की पायी गयी। जिनकी अवधि 24 घंटे की भीतर की प्रदर्श पी० 20 है। एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी0 21 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

17. गवाह पी.ड.08 ओमप्रकाश व पी.ड.09 भरतराज जो फर्द जप्ती के गवाहन है, ने फर्द जप्ती बस प्रदर्श पी05 पर उनके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

18. गवाह पी.ड.01 मांगीलाल ने उसके बयानों में बताया है कि वह दिनांक 18.08.2019 को थाना जावर पर हैड के पद पर कार्यरत होकर इंचार्ज थाना था। उस दिन दुर्घटना की सूचना मिलने पर सीएचसी अकलेरा पहुंचा जहां पर मांगीलाल ने एक लिखित रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की। मजमून इत्तिला से अपराध 279, 337 का पाए जाने से आहत की चोटों बाबत तहरीर चिकित्सा अधिकारी को जारी की। उसके बाद थाने पर आया। वापसी थाने पर मुकदमा नम्बर 146/19 धारा 279, 337 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान जगदीश हैड़ कानि. को सुपुर्द किया। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है। चाक एफआइआर प्रदर्श पी 02 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

19. गवाह पी.ड.02 जगदीश जो कि प्रकरण का अनुसंधानकर्ता है, ने उसके बयानों में बताया है कि वह दिनांक 18.08.2019 को थाना जावर पर हैड कानि० के पद पर तैनात था। उस दिन हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान उसके सुपुर्द किया। दौराने अनुसंधान बयान प्रार्थी मांगीलाल, गवाह तेजमल, राकेश, श्रीलाल, रामकल्याण के कहे अनुसार लेखबद्ध किये। प्रार्थी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी-03 है। दुर्घटनाग्रस्त साईकिल की फर्द डेमेज बनायी जो प्रदर्श पी4 है। दुर्घटना कारित करने वाली बस नम्बर आर जे 17 पी ए 2326 को जप्त किया जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी05 है। बस के फोटोग्राफ लगाये थे जो प्रदर्श पी06 लगायत प्रदर्श पी09 हैं। जप्तशुदा बस का मेडिकल मुआयना किया, रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न पत्रावली की। जप्तशुदा बस के स्वामी ओमप्रकाश को धारा 133 एम वी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया जिसने अपने जवाब में वक्त घटना जगदीश का चालक होना बताया। नोटिस प्रदर्श पी 10 है। जवाब नोटिस के आधार पर चालक जगदीश को धारा 134 एम वी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया। जिसने जवाब में वक्त घटना स्वंय द्वारा बस चलाना बताया। नोटिस प्रदर्श पी11 है। आहत रामकल्याण का चोट प्रतिवेदन, एक्स रे प्लेट व रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न किये। दुर्घटना कारित करने वाली बस की आर सी, बीमा, फिटनेस, पी यू सी व चालक जगदीश का ड्राईविंग लाईसेंसे की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर संलग्न की जो क्रमशः प्रदर्श पी12 लगायत 16 हैं। मालखाना रजि की प्रमाणित प्रति संलग्न पत्रावली की जो प्रदर्श पी 17 हैं जिन पर ए-बी प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त जगदीश के विरूध अपराध प्रमाणित पाये जाने से एसएचओ बन्नालाल को पेश की जिन्होंने आरोप पत्र पेश

न्यायालय किया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि नक्शामौका घटना के कितने दिन बाद बनाया था, उसे याद नहीं है।

20. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य के अवलोकन से जहां तक कि प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन व चालक की पहचान का प्रश्न है तो हस्तगत प्रकरण का उद्गम परिवादी मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत की गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी01 से होना प्रकट होता है, जिसमें उसने प्रश्नगत दुर्घटना स्वयं द्वारा देखना व टक्कर मारने वाली प्राईवेट बस का ओमप्रकाश तिवारी की होना बताते हुए बस के नम्बर आरजे 17 पीए 2326 होना बताया है। परिवादी ने बतौर अभियोजन साक्षी पी.ड.03 भी यही साक्ष्य दी है कि प्राईवेट बस जिस पर तिवारी लिखा था, उसने उसके भाई रामकल्याण के सामने से टक्कर मार दी, जिसका नम्बर 2326 था।

21. इसी क्रम में अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड.02 जगदीश प्रसाद ने भी प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाली बस के नम्बर आरजे 17 पीए 2326 होना बताकर उसे मुताबिक फर्द जप्ती प्रदर्श पी05 जप्त करने व बस के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी06 लगायत पी09 होने की भी साक्ष्य दी है। जप्तशुदा बस के रजिस्टर्ड स्वामी गवाह पी.ड.08 ओमप्रकाश ने पुलिस द्वारा उसकी बस जप्त करने की व फर्द जप्ती प्रदर्श पी05 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने की साक्ष्य दी है।

22. इसी प्रकार फर्द जप्ती प्रदर्श पी05 के गवाह पी.ड.09 भरतराज ने भी तिवारी जी की बस उसके सामने जप्त करने की अखण्डनीय साक्ष्य दी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत दुर्घटना कारित करने वाली बस की पहचान पूर्ण रूप से साबित होती है।

23. जहां तक उक्त जप्तशुदा बस को अभियुक्त जगदीश द्वारा बतौर चालक चलाये जाने का प्रश्न है तो यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित करवाये गये परिवादी व चश्मदीद गवाहन द्वारा अभियुक्त की पहचान के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है परन्तु अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड.02 जगदीश प्रसाद द्वारा वाहन मालिक ओमप्रकाश को दिये गये धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस प्रदर्श पी10 व अभियुक्त जगदीश को दिये गये धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी11 के आधार पर अभियुक्त को बतौर चालक मानने की साक्ष्य दी है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त दोनों नोटिसों के बिन्दु पर लेशमात्र भी जिरह नहीं की गई है।

24. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ने धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान मुलजिम के समय घटना बाबत् पूछे गये स्पष्टीकरण में दुर्घटना कारित करने वाली बस को स्वयं द्वारा चलाये जाने

का कथन किया है। ऐसे में पत्रावली पर प्रश्नगत दुर्घटना जप्तशुदा बस से होने व वर वक्त दुर्घटना जप्तशुदा बस को अभियुक्त जगदीश द्वारा चलाये जाने का तथ्य निर्विवादित रूप से प्रमाणित होता है।

25. अब जहां तक कि प्रश्नगत दुर्घटना का अभियुक्त की उपेक्षा व उतावलेपन से कारित होने का प्रश्न है तो परिवादी/चश्मदीद गवाह पी.ड.03 मांगीलाल ने स्पष्ट रूप से बस के चालक द्वारा बस को तेज गति, लापरवाही से गलत साईड से चलाकर उसके भाई के टक्कर मारने की साक्ष्य दी है, जिसका कोई खण्डन उसकी जिरह में नहीं हुआ है। इसी प्रकार चश्मदीद गवाह पी.ड.04 राकेश व पी.ड.05 श्रीलाल ने भी मजरूबान रामकल्याण का बस से एक्सीडेंट होने पर बस के नीचे दबने का कथन किया है। स्वयं मजरूब/गवाह पी.ड.06 रामकल्याण ने भी बस द्वारा सामने से टक्कर मारने का कथन करते हुए यह बताया है कि बस का चालक तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया जिसको देखकर वह बिल्कुल एकतरफ हो गया था। अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड.02 जगदीश प्रसाद ने भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित माने जाने की साक्ष्य दी है। उक्त मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य नक्शामौका प्रदर्श पी03 के अवलोकन से घटनास्थल एक्स स्थान पर बताते हुए जप्तशुदा बस का जतावा से हरनावदा जाना बताया है। नक्शामौका के अवलोकन से मजरूब का उसकी दिशा में आने व बस द्वारा विपरीत दिशा में जाकर टक्कर मारना प्रकट होता है। यद्यपि अभियुक्त ने उसके धारा 313 सीआरपीसी के बयान मुलजिम में यह बताया है कि वह उसकी ही साईड में था, फिर बस के सामने एकदम साईकिल वाला घूम गया था, परन्तु नक्शामौका के अवलोकन से उक्त तथ्य सही प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त प्रकार की प्रतिरक्षा प्रारंभ से ही नहीं ली गई है ना ही ऐसा कोई सुझाव गवाहन को दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई बचाव साक्ष्य भी अभियुक्त की ओर से उक्त तथ्य की पुष्टि में पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा जप्तशुदा बस का चालक होते हुए उसे गफलत व लापरवाही से चलाकर मजरूब रामकल्याण के टक्कर मारना प्रकट होता है।

26. उक्त टक्कर के फलस्वरूप रामकल्याण के शरीर पर आई चोटों बाबत् पत्रावली पर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी19 व एक्सरे प्रदर्श पी20 उपलब्ध हैं, जिनकी पुष्टि करते हुए चिकित्सकीय साक्षी पी.ड.07 डॉक्टर सत्येन्द्र सिंह ने घटना की ही दिनांक को मजरूब रामकल्याण के शरीर पर कुंद हथियार से साधारण व गंभीर प्रकृति की चोट आने ही साक्ष्य दी है। उक्त प्रकार की चोटों का ही वर्णन घटना की दिनांक को ही पेश की गई तहरीरी

रिपोर्ट प्रदर्श पी01 की पुष्ट पर अंकित कार्यवाही पुलिस में भी किया गया है, जिससे कि मजरूब रामकल्याण के बस द्वारा टक्कर मारने के फलस्वरूप प्रश्नगत चोटें आना भी साबित होता है।

27. अतः अभियोजन पक्ष प्रकरण को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त जगदीश द्वारा दिनांक 18.08.2019 को समय 11.30 ए.एम. के लगभग मौजा/स्थान मोतीपुरा पुलिस थाना जावर पर वाहन बस रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 17 पी.ए. 2326 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन सुरक्षा को संकटापित किया तथा परिवादी मांगीलाल का चचेरा भाई रामकल्याण जो कि साईकिल से जा रहा था के सामने से ड्राईवर साईड की ओर से टक्कर मार दी, जिससे रामकल्याण के उक्त दुर्घटना में उसके शरीर पर साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित हुई। अतः अभियुक्त जगदीश को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 339 भां०दं०स० में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--आदेश--

28. अतः अभियुक्त जगदीश पुत्र बीरधीलाल उम्र 63 वर्ष निवासी हरनावदाशाहजी पुलिस थान हरनावदाशाहजी जिला बारां (राज०) को आरोपित अपराध धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(रचना वैष्णव)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मनोहरथाना जिला-झालावाड़ (राज.)

29. सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का गरीब व्यक्ति है। अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त ने इस आशय का शपथ पत्र पेश किया कि पूर्व में उसे माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है। अभियुक्त लम्बे समय से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान का लाभ दिया जाए। अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध किया।

30. उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। पूर्व की दोषसिद्ध साबित नहीं है और उक्त आशय का शपथ पत्र भी पेश है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में वर्ष 2019 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। हस्तगत प्रकरण मृत्यु या आजीवन कारावास से भी दण्डनीय नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों,

अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-दण्डादेश-

31. अतः अभियुक्त जगदीश पुत्र बीरधीलाल उम्र 63 वर्ष निवासी हरनावदाशाहजी पुलिस थान हरनावदाशाहजी जिला बारां (राज०) को धारा 279, 337, 338 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्धि के लिए परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत आदेशित किया जाता है कि वह अधोलिखित शर्तों के अधीन 5,000/-रूपये का बंध पत्र एवं इसी कदर राशि का जमानतनामा न्यायालय की संतुष्टिनुसार प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावेः-

1 अभियुक्त एक वर्ष की अवधि तक शांति एवं सदाचरण बनाये रखेगा तथा उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

2. न्यायालय द्वारा जब भी तलब करने पर न्यायालय में उपस्थित आयेंगा तथा आदेशित दण्डादेश प्राप्त करेगा।

32. साथ ही परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5(1)(बी) के तहत अभियुक्त पर कुल 1000/-रूपये (अक्षरे एक हजार रूपये) अभियोजन व्यय के आरोपित किये जाते है, जो राशि न्यायालय में जमा कराई जावे। अभियुक्त द्वारा धारा 437-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों की पालना में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए अभियुक्त द्वारा 10,000/-रूपये की राशि की जमानत एवं इसी कदर राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे जो छः माह की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

33. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व में उसके स्वामी को सुपुर्दगी पर दिया हुआ है, जो उसी के पास रहे, बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा निरस्त समझा जावे।

(रचना वैष्णव)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

34. निर्णय आज दिनांक 06.07.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित, मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(रचना वैष्णव)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

प्रमाण पत्र

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

मोहन सोनी
आशुलिपिक द्वितीय

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।